4077 H-16

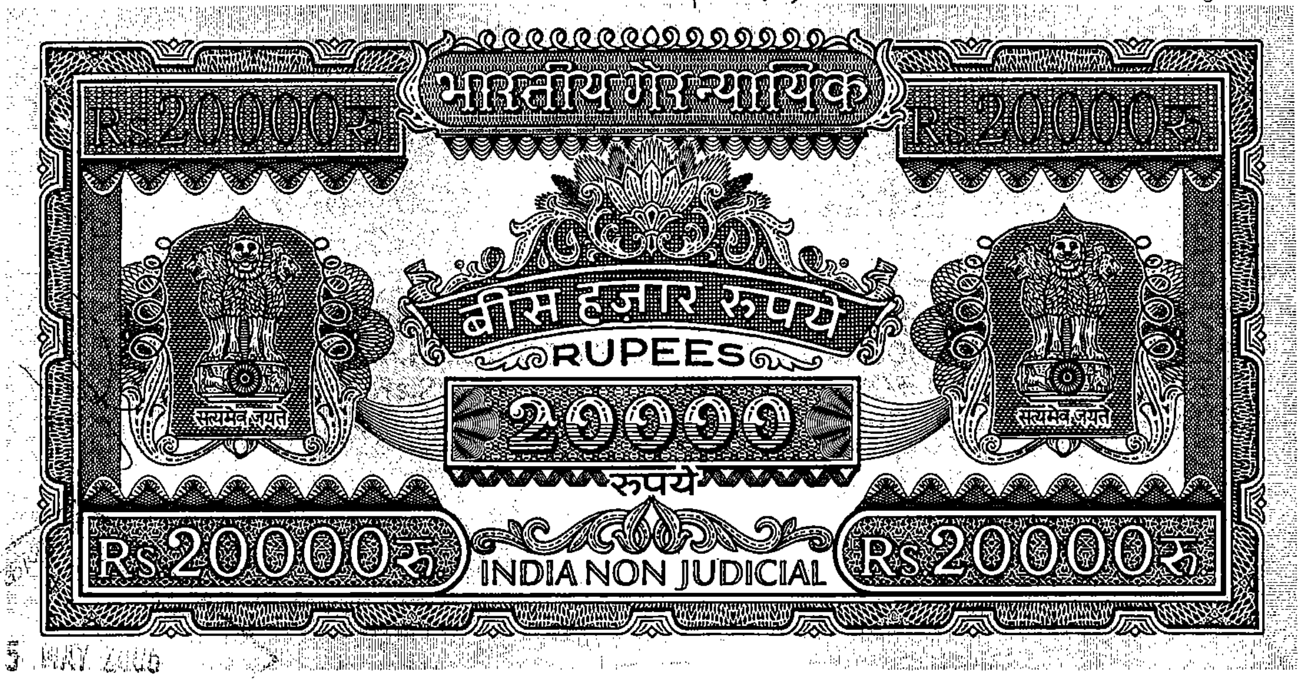

- 5 MAY 2006

03CC 943419

SR-11

(1)

बैनामा अंकन - 17,07,750/- रुपये का
स्टाम्प अंकन - 1,71,000/- रुपये का
<u>विवरण विक्रय भूमि</u> :- भूमि खाता नं0 1921 खसरा नं0 2876 रकबई 0.2280 हैक्टेयर व खसरा

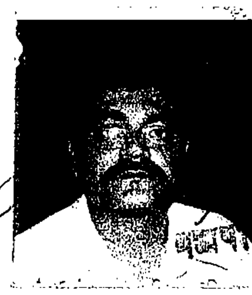

क्रम सं. 549

5 MAY 2006

रु 1707750/

5000 20 500 160

जगदीश प्रसाद शर्मा

रामचन्द्र शर्मा

एफ 70 सेक्टर 8 शास्त्री नगर गाजियाबाद

5506 45

5506

1707750/

सुखदेव बेकर्स एण्ड कन्फैक्शनर्स बेकर्स 1862 मदनलाल मार्केट चमेलियान रोड दिल्ली

जगदीश प्रसाद शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

-5 MAY 2006

03CC 943418

नं0 2877 रकबई 0.2780 हैक्टेयर कुल नम्बरान 2 क्षेत्रफल 0.5060 हेक्टेयर मे से कुल 1/4 भाग अर्थात 0.1265 हेक्टेयर अर्थात 1265 वर्गमीटर भूमि इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की जा रही है, जो ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला

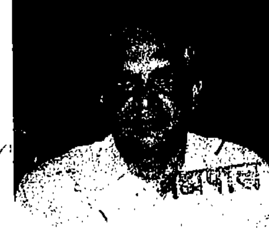

क्रम सं० 545

कार्य सं० 544

-5 MAY 2006

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5500

गोजेन्द्र सिंह

उप निबन्धक प्रथम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

5500

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

- 5 MAY 2006

03CC 943417

(3)

गाजियाबाद में स्थित है। विकित भूमि में इस समय कोई फसल नहीं है, विकित भूमि में कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं हैं अर्थात पूर्णतया खाली है। केता ने विकेता के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर

- 5 MAY 2006

प्रथम न्यायालय

* उत्तर प्रदेश *

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

- 5 MAY 2006

03CC 943416

(4)

ली है एवं अपनी पूर्ण संतुष्टि के पश्चात विकेता से भूमि कय कर रहा है। केता ने कय की जाने वाली भूमि को मौके पर भली प्रकार देख लिया है एवं संतुष्ट है। विकेता व केता दोनो ही अनुसूचित जाति ~~अथवा जनजाति से~~ नही है। विकय भूमि ग्राम समाज, अथवा वक्फ की नही हैं। जिसका मानचित्र विकय पत्र के साथ संलग्न किया गया है। विकित भूमि मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

हम कि **हैदराबाद बिवरेजस प्रा0 लि0 105 सेकेण्ड फलौर, ई0 ब्लाक, सूर्या टावर सरदार पटेल रोड सिकन्दराबाद - 500003 ए0 पी0** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि **श्री सुखदेव बब्बर** पुत्र श्री जे0 एस0 बब्बर निवासी - 1862, महालक्ष्मी मार्किट भगीरथ पैलेस चांदनी चौक दिल्ली - प्रथम पक्ष विकेता, जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर विकेता कहा गया है।

एवं **सामग रियेलेटर्स प्रा0 लि0 बी- 67, सरिता विहार दिल्ली- 76** द्वारा **श्री जगदीश प्रसाद शर्मा** पुत्र श्री रामचन्द्र

- 5 MAY 2006

* उत्तर प्रदेश *

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000रु INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु

- 5 MAY 2006

03CC 943415

शर्मा निवासी - एस0 आई0- 18, शास्त्रीनगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद - द्वितीय पक्ष केता, जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर केता कहा गया है।

इस लेख पत्र में विकेतागण व केता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक एवं न्यायिक प्रतिनिधिगण भी पूर्णतः सम्मलित समझे जायेंगे।

विदित हो कि भूमि खाता नं0 1921 खसरा नं0 2876 रकबई 0.2280 हैक्टेयर व खसरा नं0 2877 रकबई 0.2780 हैक्टेयर कुल नम्बरान 2 क्षेत्रफल 0.5060 हेक्टेयर मे से कुल 1/4 भाग अर्थात 0.1265 हेक्टेयर अर्थात 1265 वर्गमीटर भूमि इस विकय पत्र के द्वारा विकय की जा रही है, जो ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है, की प्रथम पक्ष विकेता फर्म मालिक काबिज द्वारा खरीद बैनामा इकरारी श्री हरबंश पुत्र श्री छजुवा निवासी- ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद तहरीरी दिनांक 10.10.2005 जो कार्यालय

क्रम सं. 548
स्टाम्प नं. 544
-5 MAY 2006

सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
* उत्तर प्रदेश *

- 5 MAY 2006

03CC 943414

उपनिबन्धक गाजियाबाद में बही नं 1 जिल्द नं0 6241 के पृष्ठ 265/302 पर नम्बर 6565 पर दिनांक 10.10.2005 को दर्ज है, है। तथा मैं निष्पादक फर्म उपरोक्त की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि होने ~~के कारण फर्म की ओर से भूमि को विक्रय~~ आदि के पूर्ण अधिकारी है उपरोक्त भूमि को विकय आदि करने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नही है। उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धक से मुक्त है, कही अन्य आड़, रहन, बय, हिबै, महायदाबय, जमानत बैंक लोन आदि से ग्रस्त नही है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने फर्म की ओर से सालिम भूमि उपरोक्त को अपनी खुशी रजामन्दी समस्त स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में पूर्णतया सोच-समझकर मय तमामी हकूक मालिकाना दाखली व खारजी हर किसम मय कब्जा आदि आदि सहित आज की तारीख में बदले अंकन - 17,07,750/- रुपये (सत्रह लाख सात हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन - 8,53,875/- रुपये होते है, में हाथ

549

544 में अंकित किया

- 5 MAY 2006

रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

* उत्तर प्रदेश *

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

- 5 MAY 2006

03CC 943413

(7)

द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी उपरोक्त को विकय कर दी और कुल कीमत मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्प~~नी से निम्न विवरणानुसार प्राप्त कर ली है।~~ इस प्रकार बाबत कीमत कुछ बाकी नही रहा है। विकय भूमि का बैनामा विकेता व केता के वर्णनानुसार लिखा गया है, अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक का अपना कोई कथन नही है। भूमि की निर्धारित आवासीय दर 1,000/- प्रति वर्गमीटर है, स्टाम्प डयूटी वास्तविक पर नियमानुसार अदा की जा रही है। विकेता व केता ने पढ़कर, सुनकर व समझकर विकय पत्र पर हस्ताक्षर किये है। अब इकरार यह कि उपरोक्त भूमि को मिलकियत उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से मुझ विकेता फर्म अथवा मेरे किसी भी वारिसान अथवा प्रतिनिधि का कोई सम्बन्ध बाकी नही रहा है, न आइन्दा होगा। कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त का करा दिया है, अब द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये है,

550
544

- 5 MAY 2006

सत्यमेव जयते

* उत्तर प्रदेश *

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

5 MAY 2005

02BB 677370

(8)

जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावें, स्वयं कृषि करे, अथवा किसी प्रकार का निर्माण अथवा कालोनी इत्यादि का निर्माण स्वयं अथवा किसी अन्य से कराये, किसी प्रकार का विक्रय पत्र आदि करे अथवा विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र करे, गरज यह कि उक्त भूमि के विषय में जो मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष फर्म को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी को प्राप्त हो गये है। समस्त राजपत्रों में द्वितीय पक्ष अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं दर्ज करा ले, इस विक्रय पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष ने स्वयं वहन किया है, पक्षकारान के मध्य कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नही हुआ है। अब इकरार यह है कि अगर बावजह बेइस्तहकाकी विक्रेता फर्म के या बदावेदारी किसी सहीम व शरीक के विक्रय की जाने वाली भूमि कुल अथवा उसका कोई भाग कब्जे या

क्रम सं0......551......

-5 MAY 2006

सत्यमेव जयते

गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश

02BB 677369

(9)

अधिकार केता से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर फर्म विक्रेता समस्त विक्रय धन की वापसी का मय हर्जे-खर्चे सूद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे। उपरोक्त भूमि के विषय में भू राजस्व प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा इस विक्रय पत्र से सम्बन्धित भूमि के रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देनदारी का दायित्व भूमि विक्रेतागण को होगा और इसके पश्चात समस्त जिम्मेदारी केता कम्पनी की होंगी।

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

<u>विवरण वसूलयाबी:</u> -

अंकन 17,07,750/- रुपये द्वारा चैक नं0 786483 दिनांक 10-05-2006 जो इण्डियन ओवरसीज बैक की शाखा पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली के खाते से जारी है, प्राप्त किये, इस प्रकार कुल धनराशि प्राप्त की तथा

क्रम सं0 552
847
-5 MAY 2006

प्रथम
उत्तर प्रदेश

कृषि भूमि प्लान खाता नं० - 1921 खसरा नं० - 2876, 2877, 3015

स्थित - ग्राम - शाहपुर बम्हैटा

परगना - डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

नोट :- ये मानचित्र 200 मी० की त्रिज्या मे बना है।

कुल विक्रय रकबा 0.16775 हैक्टेयर

यानि - 1677.5 वर्ग मी०

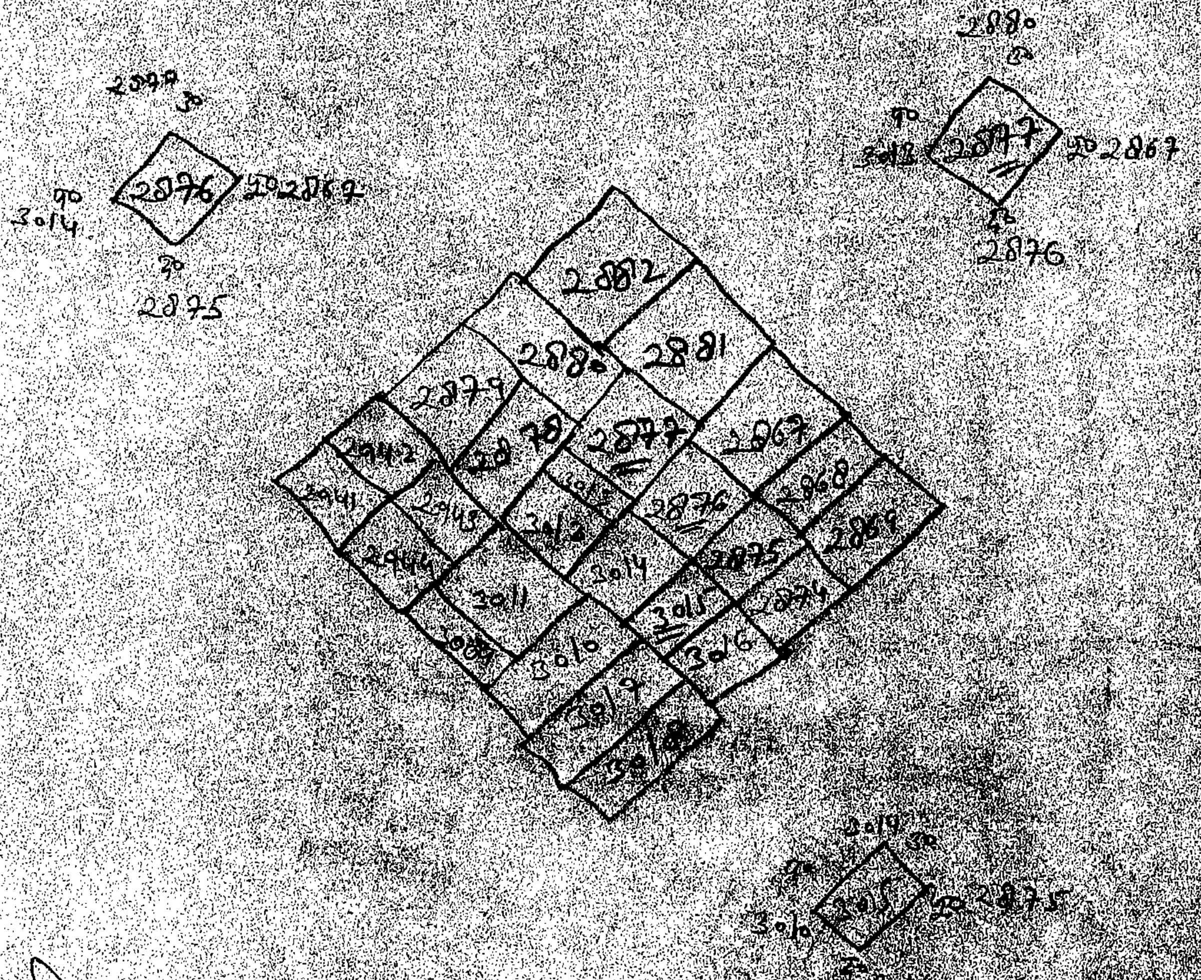

ह० विक्रेता

ह० क्रेता

M/s. TYAGI'S ASSOCIATE
H.P.D.A. LIC. No. 18
CH. No. ...
... COMPOUND

मानचित्र प्रलेख सं0 4077
के साथ प्रस्तुत हुआ।

स0र0 प्रथम
गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

1000Rs.

- 3 MAY 2006

628085

(10)

कुछ भी शेष नही रहा है।

गवाह :-

गवाह :-

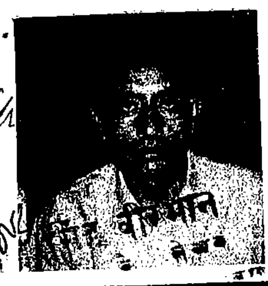

दिनांकः - 05-05-2006 मसौदा **चौधरी ब्रह्मपाल सिह वीरभान**, दस्तावेज लेखक, अनुज्ञा पत्र संख्या- 85/89, चैम्बर नं0 53, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद।

कुल ... 553 ... 1/-
554
6
-5 MAY 2006

बही नं० I जिल्द नं० 6600 के पृष्ठ 79/35 नम्बर 4077
को आज दिनांक 5/5/06 को रजिस्ट्री की गई।

स० र० प्रथम
गाजियाबाद

उप निबन्धक प्रथम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
* उत्तर प्रदेश *

मि०नं० 1061

20. mo
Vip, NT(H)
23-507